इकाई 14 वैष्वीकरण, विष्व व्यापार संगठन तथा यूरोपीय संघ

संरचना

14.0 प्रस्तावना

14.1 उद्देष्य

14.2 वैष्वीकरण

14.2.1 विष्व अभिषासन

14.2.2 वैष्वीकरण का आर्थिक औचित्य अथवा तर्काधार

14.3 विष्व व्यापार संगठन

14.3.1 विष्व व्यापार संगठन के कार्य

14.3.2 व्यापार तथा पर्यावरण

14.3.3 व्यापार तथा निवेष

14.3.4 व्यापार सम्बन्धी बौद्धिक स्वामित्व अधिकार

14.4 यूरोपीय संघ, व्यापार तथा वैष्वीकरण

14.5 यूरोपीय संघ तथा विकास सहयोग नीति

14.6 यूरोपीय संघ तथा विष्व व्यापार संगठन

14.6.1 ग़ैर–कृषि उत्पाद

14.6.2 कृषि उत्पाद

14.7 यूरोपीय संघ तथा पर्यावरण सम्बन्धी मुद्दे

14.7.1 जलवायु परिवर्तन पर यूरोपीय संघ की पहल

14.8 सारांष

14.9 अभ्यास प्रष्न

14.10 संदर्भ तथा कुछ उपयोगी पुस्तकें

14.0 प्रस्तावना

वैष्वीकरण अंतःसम्बन्धों की एक जटिल प्रक्रिया है जिसका उद्देष्य मुक्त आदान–प्रदान पर आधारित परन्तु संयुक्त स्तर पर नियमित तथा नियंत्रित संस्कृति, अर्थव्यवस्था तथा राजनीति के विष्व समुदाय की रचना करना है। इस प्रक्रिया के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) तथा विष्व व्यापार संगठन जैसी बहुपक्षीय एवं अधिराष्ट्रीय संस्थाओं (multilateralism and supranational organizations) द्वारा कानूनों तथा नियमों का एक सर्वव्यापी ढाँचा तैयार किया जाता है। ये संस्थाएँ राष्ट्र–राज्यों की आंतरिक तथा बाह्य अर्थव्यवस्था तथा राजनीति को महत्वपूर्ण आकार अथवा स्वरूप देती हैं। विष्व अभिषासन (global governance) के उभरते हुए आकार तथा मूल संरचना का उद्देष्य विभिन्न क्षेत्रों, जैसे व्यापार, उद्योग, सेवाएँ, पर्यावरण, वाणिज्य, श्रम, प्रतिरक्षा तथा सुरक्षा – में कानून निर्माण तथा नीति–निर्माण की प्रक्रिया का मानकीकरण करना है ताकि वे सांझे विष्व दृष्टिकोण, आवष्यकताओं तथा अपेक्षाओं के अनुकूल हो सकें।

सांझे कानूनों एवं नियमावलियों तथा सामूहिक नियमन की आवष्यकता इस "परसन परिकल्पना" (stretching out hypothesis) पर आधारित है कि संसार के एक कोने में घटने वाली घटनाओं तथा फैसलों का असर दूसरे कोने पर भी पड़ता है। वैष्वीकरण के संदर्भ में जिन कारकों का अक्सर ज़िक्र किया जाता है, वे हैं : विष्व–तापन तथा जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण विनाष, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास, गरीबी, भूखमरी, अर्न्तदेषीय स्वास्थ्य मुद्दे जैसे एच.आई.वी./एड्स, मादक पदार्थों की तस्करी, निर्बाध पूँजीवाद, कुछ देषों एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों (Multinational Companies; MNCs) द्वारा विष्व व्यापार पर एकाधिकार, प्रजातंत्र के लिए सर्वव्यापी अभियान, मानव अधिकार, सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति, राष्ट्रीय युद्ध तथा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद आदि। इस इकाई में हम वैष्वीकरण की इन प्रक्रियाओं और उनमें यूरोपीय संघ के स्थान और भूमिका पर चर्चा करेंगे।

14.1 उद्देष्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप निम्नलिखित विषयों को समझने के योग्य हो जाएँगे:

- वैष्वीकरण तथा विष्व व्यापार संगठन का अर्थ तथा प्रक्रिया;
- एक क्षेत्रीय समुदाय के रूप में यूरोपीय संघ का वैष्वीकरण तथा विष्व व्यापार संगठन की प्रक्रिया में भागेदारी;
- विष्व व्यापार संगठन के ढाँचे के अंतर्गत यूरोपीय संघ की विकास सहयोग नीति के उद्देष्य; और
- यूरोपीय संघ की पर्यावरण संरक्षण में दिलचस्पी, तथा इसके संरक्षण के लिए किए गए उपक्रमण (initiatives) ।

14.2 वैष्वीकरण

वैष्वीकरण का उदय तथा परिचालन संस्कृति, राजनीति तथा अर्थव्यवस्था के चौराहे पर होता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में आज यह अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गया है। इस इकाई में हम वैष्वीकरण की प्रक्रिया में यूरोपीय संघ की भूमिका तथा इससे संबंधित संस्थाओं, जैसे विष्व व्यापार संगठन द्वारा निभाई गई भूमिका की चर्चा करेंगे। परंतु इससे पहले यह जानना आवष्यक है कि वैष्वीकरण तथा विष्व व्यापार संगठन क्या हैं?

ऐलान कोचरन (Allan Cochrane) तथा कैथी पेन (Kathy Pain) ने वैष्वीकरण की निम्नलिखित विषेषताएँ स्पष्ट की हैं:

1) सामाजिक तथा आर्थिक सम्बन्धों में फैलाव,

2) संचार तथा अन्य संयोजनों (linkages) का आष्चर्यजनक विस्तार/प्रसार (intensification),

3) आर्थिक तथा सामाजिक पद्धतियों में अर्न्तव्यापन (interpenetration), तथा

4) विष्व स्तरीय मूल संरचना का उदय।

14.2.1 विष्व अभिषासन

संरचनागत दृष्टिकोण से वैष्वीकरण का अर्थ राष्ट्र–राज्यों की समाप्ति नहीं है, बल्कि "एक बहुस्तरीय तथा बहु–स्तरीय राजनीति (multilevel politics) का विकास करना है जहाँ एक तरफ राष्ट्र–राज्य के नीचे अधोराष्ट्रीय (subnational) क्षेत्रीय राजनीति एवं पुलकित शहर हों, वहाँ दूसरी तरफ राष्ट्र–राज्य के ऊपर अधिराष्ट्रीय (supranational) क्षेत्रीय तथा विष्व संस्थाएँ एवं समुदाय हों" (हैल्ड, 2004, पृष्ठ 11)। अतः स्थानीयकरण, क्षेत्रीयकरण तथा अंतर्राष्ट्रीयकरण – ये वैष्वीकरण की तीन परस्पर अंतःसम्बन्धी तथा सुदृढ़ीकरण प्रक्रियाएँ हैं। अपनी समझ के लिए, हम वैष्वीकरण को "विष्व का स्थानीयकरण" (localization of global) तथा "स्थानीय का वैष्वीकरण" (globalization of local) की द्विपक्षीय प्रक्रिया मान सकते हैं। अतः वैष्वीकरण एक आंतरिक तथा बाह्य प्रक्रिया दोनों ही है जिसमें विभिन्न राज्यों की सरकारें, व्यापार तथा विकास से संबंधित नीतियों को बहुस्तरीय समझौतों (multilateral agreements) तथा विष्व अभिषासन (global governance) के मूल ढाँचों के अनुरूप ढालती हैं, उनकी प्राथमिकताएँ निष्चित करती है एवं उनका औचित्य स्थापित करती हैं।

वास्तव में वैष्वीकरण ने अभिषासन की धारणा में ही परिवर्तन कर दिया है। इसने परासरकारीवाद (transgovernmentalism) का एक नया स्वरूप तथा बहुकेन्द्रीय निर्णय निर्माण (multicentric mode of decision-making) की ऐसी पद्धति की रचना की है जिसमें राष्ट्रीय सरकारों के पदाधिकारी, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रतिनिधि, नागरिक समाज की संस्थाएँ तथा दबाव समूह शामिल होते हैं। अब कानून निर्माण की कोई एकमात्र संस्था नहीं हे। विभिन्न विष्व संस्थाएँ विषिष्ट प्रकार के निर्णय लेती हैं तथा उनके निर्णय केवल राष्ट्रीय सरकारों को ही नहीं बल्कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भी अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं को, इन निर्णयों के अनुसार ढालना होता है। अतः नियामक सहयोग (regulatory cooperation) तथा नीति मानकीकरण (policy standardization) विष्व अभिषासन के दो मुख्य उद्देष्य हैं। परन्तु ध्यान देने योग्य बात यह है कि जहाँ एकतरफ विष्व अभिषासन को

सर्वोच्च कानूनी सत्ता तथा उत्पीड़क शक्ति जैसी विष्व सरकार के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, वहीं दूसरी तरह, यह सीमित अन्तर–सरकारी सहयोग से बढ़कर है। संयुक्त राष्ट्र संघ इसका संस्थागत सार होने के कारण, विष्व अभिषासन में कई तरह की अधिराजकीय तथा क्षेत्रीय संस्थाएँ निहित होती हैं। इसके अतिरिक्त परा–राष्ट्रीय नीति नेटवर्क तथा शासनों के सरकारी पदाधिकारी, तकनीकी यंत्र, कम्पनियों के प्रतिनिधि, दबाव समूह तथा ग़ैर–सरकारी संगठन भी इसके भाग होते हैं (हेल्ड, 2004, पृष्ठ 78–79)।

डेविड हेल्ड के अनुसार विष्व अभिषासन एक बहुस्तरीय, बहु–आयामी तथा बहुपात्रीय (multilayer*ed*, *multidimensional* and *multi-actor*) व्यवस्था है। "ये बहुस्तरीय इसलिए हैं क्योंकि विष्व नीतियों के विकास तथा कार्यान्वयन को अधिराजकीय, परा‌राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा कई बार स्थानीय संस्थाओं से गुजरना पड़ता है। यह बहुआयामी इसलिए है क्योंकि इसके लिए विभिन्न अभिकरणों का नियोजन तथा संरूपण भी भिन्न क्षेत्रों तथा मुद्दों के अनुसार भिन्न होता है जो विषिष्ट राजनीतिक प्रतिमानों को जन्म देता है। तीसरे, यह बहुपात्रीय भी है क्योंकि विष्व जन नीति के विकास में विभिन्न अभिकरण भाग लेते हैं।"

विष्व अभिषासन की एक अन्य रोचक विषेषता यह है कि विष्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विष्व बैंक जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ प्रमुख विष्व आर्थिक तथा राजनीतिक संस्थाओं के कार्यों में हाथ बंटाने के लिए यह तदर्थ अथवा नियमित सार्वजनिक तथा राजनीतिक संस्थाओं को भी प्रोत्साहित करता है जैसे विष्व जल सांझेदारी (Global Water Partnership), बांध मंच पर विष्व आयोग (World Commission on Dams Forum) आदि। विष्व स्तर पर उभरने वाली इस सार्वजनिक निजी सांझेदारी ने कानून निर्माण प्रक्रियाओं का विकेन्द्रीयकरण कर दिया है। परिणामस्वरूप एक नई "परा–राष्ट्रीय कानून व्यवस्था" उभर रही है, क्टलर (Cutler) के अनुसार कि "विभिन्न स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय सत्ताओं द्वारा निर्मित वाणिज्यिक कानूनों तथा क्रियाकलापों के विधि समूह का वैष्वीकरण कर रही है।"

राजनीतिक क्रियाकलापों का परा–राष्ट्रीयकरण (transnationalization) जिसमें विभिन्न ग़ैर–सरकारी संगठन तथा नागरिक समाज की संस्थाएँ समाविष्ट रहती हैं, परस्पर हितों

का एक विष्व समुदाय स्थापित करता है। ग्रीनपीस आंदोलन (Greenpeace Movement) इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इसकी भूमिका की नागरिकों की कूटनीति (Citizen's diplomacy) में भी काफी वृद्धि देखने को मिल रही है जिसने सरकार की निर्णय निर्माण प्रक्रिया की एकमात्र अपवर्जिता की सीमा तोड़ दी है। राष्ट्रीय सरकारें अब नागरिकों के हितों की एकमात्र अंतिम निर्णायक नहीं हैं। निर्णय निर्माण की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में नागरिक समाज की भूमिका अधिक मुखर होती जा रही है।

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, वैष्वीकरण राष्ट्रीय राजव्यवस्था के अंतर्गत शक्ति के आवंटन तथा प्रबंधन में परिवर्तन करता है। एन्थोनी मैक्ग्रू के अनुसार हाल ही के वर्षों में विष्व स्तर पर स्थानीय तथा अधोराजकीय संस्थाओं की भूमिका में काफी वृद्धि देखने को मिली है जहाँ वे अपने स्थानीय क्षेत्रों के सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक हितों को प्रोत्साहित करते हुए पाए गए हैं। जैसे–जैसे विदेषी निवेष के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, वैसे–वैसे छोटे–छोटे शहर क्षेत्र तथा अधो–राष्ट्रीय अभिकरण विष्व तथा क्षेत्रीय स्तर पर काफी सक्रिय होते जा रहे हैं। इनकी इस सक्रियता के कई रूप देखने को मिलते हैं जैसे विदेषों में स्थानीय कूटनीति मिषन स्थापित करना, महत्वपूर्ण विष्व तथा क्षेत्रीय संस्थानों में प्रतिनिधित्व, औपचारिक निकायों की स्थापना, जैसे स्थानीय प्राधिकरणों का अंतर्राष्ट्रीय संघ (International Union of Local Authorities)। ऐसे रचनातंत्रों के माध्यम से अधो–राष्ट्रीय सरकारें अपनी केन्द्रीय सरकारों की अवज्ञा करते हुए कई तरह के नीति उपक्रमणों में हिस्सा ले सकती हैं। वे ऐसी संरचनाएँ भी प्रदान करते हैं जिनकें अंतर्गत सांझी समस्याओं – चाहे वे अवैध मादक पदार्थ हों या पर्यावरण प्रदूषण – से निपटने के लिए संयुक्त सहयोग की पहल की जा सकती है (हेल्ड, 2004, पृष्ठ 146)।

यूरोपीय संघ जैसे क्षेत्रीय समुदायों की प्रमुखता वैष्वीकरण की प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम है। विष्व निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं में इन क्षेत्रीय समुदायों ने नई तरह की समूह राजनीति की शुरुआत की है। ये क्षेत्रीय समुदाय परिसंघ प्रबंधों के आधार पर कार्य करते हैं जिनमें सदस्य–राज्य परस्पर सांझे सामाजिक, राजनीतिक तथा सुरक्षा सम्बन्धी हितों की पूर्ति के लिए अपनी राष्ट्रीय प्रभुसत्ताओं का एकत्रीकरण कर लेते हैं। बहुपक्षीय निकायों के साथ सदस्य–राज्यों के महत्वपूर्ण हितों से संबंधित समझौते, यूरोपीय संघ के माध्यम से

होते हैं। क्षेत्रीय तथा विष्व अभिषासन का यह संघीय/परिसंघीय ढाँचा सदस्य–राज्यों के महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करने के अतिरिक्त उन्हें विष्व स्तर पर मुकाबला करने के लिए बहुत प्रतिस्पर्धी राजनीति तथा आर्थिक क्षमताएँ प्रदान करता है। शायद इसलिए यूरोपीय संघ ने अपनी प्रसार नीति पर सक्रियता से कार्य करना आरंभ कर दिया है और यह कई नए राज्यों को सदस्यता प्रदान करने के लिए समझौता कर रहा है।

14.2.2 वैष्वीकरण का आर्थिक औचित्य अथवा तर्काधार

वैष्वीकरण का तर्काधार अथवा औचित्य (Rationale of globalization) वैष्वीकरण के समर्थकों के इस तर्क पर आधारित है कि विष्व स्तर पर समता तथा विकास केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सांझे उदारवादी ढाँचे तथा उद्योग, उत्पादन तथा सेवाओं के सीमा–पार मुक्त आवागमन द्वारा ही आष्वत किया जा सकता है। इनका मानना है कि मुक्त व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था निवेष, रोज़गार, मुद्रा तथा श्रम विभाजन, वस्तुओं के आदान–प्रदान तथा सेवाओं के प्रसार के लिए उत्तम है। इसमें औद्योगिक उत्पादन एक अंतर्राष्ट्रीय जटिल प्रक्रिया में परिवर्तित हो जाता है जिसमें उत्पादन के विभिन्न घटक किसी एक स्थान से प्राप्त न करके विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त किए जाते हैं। इससे कम्पनियों में आपसी व्यापार को बढ़ावा मिलता है। ऐसा उत्पादन विष्व स्तर पर द्रुतगामी परिवर्तनों के कारण संभव हुआ जहाँ एक तरफ व्यापार और प्रत्यक्ष विदेषी निवेष (Foreign direct investment; FDI) अत्याधिक जुड़ गए, वहाँ दूसरी तरफ ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योगों में काफी वृद्धि हुई है।

तथापि आर्थिक वैष्वीकरण का सबसे आष्चर्यपूर्ण तत्व वित्तीय बाज़ारों का शीघ्रातिषीघ्र संघटन है। पूँजी का उदारीकरण पूँजी की गतिषीलता (Capital account liberalization) में प्रसार करता है तथा व्यापार एवं निवेष में नीति सम्बन्धी दृष्टिकोण को भी उदार बनाता है। शेयर, मुद्रा बाज़ार तथा बैंकिंग के क्षेत्रों को इस वैष्वीकरण तथा उदारीकरण से विषेष लाभ हुआ है। संस्थागत संदर्भ में विष्व वित्तीय व्यवस्था की निम्नलिखित विषेषताएँ हैं:

i) विष्व व्यापार संगठन के नियंत्रण तथा नियमन के अंतर्गत नई बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था की शुरुआत, जो कई मामलों में विष्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से

अपेक्षाकृत अधिक प्रजातांत्रिक हैं। इसके निर्णय निर्माण सम्बन्धी ढाँचों में सदस्यों की वित्तीय शक्ति की बू नहीं आती। इसका वर्तमान नियम है एक देष एक मत तथा सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय पर प्रत्येक देष को वीटो का अधिकार। औपचारिक स्तर पर इसका अर्थ है कि ब्रिटेन का भी एक मत है और संयुक्त राज्य अमेरिका का भी, अथवा बांग्लादेष का भी एक मत है और यूरोपीय संघ का भी (एच डी आर, 2005, पृष्ठ 146)।

ii) एक नई विष्व उत्पादन व्यवस्था का उदय जिसमें 65,000 बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपने 8,50,000 विदेषी सम्बद्ध संस्थानों के साथ इस विष्व व्यवस्था के मुख्य पात्र हैं। ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ विष्व आपूर्ति प्रवाह में समन्वय स्थापित करती हैं जो विभिन्न देषों में बिखरी कम्पनियों को जोड़ती हैं, यहाँ तक कि उन स्थानीय छोटे–मोटे ठेकेदारों को भी जो औपचारिक फैक्टरी व्यवस्था के बाहर रहकर कार्य कर रहे हैं (*फेयर ग्लोबलाइजेषन*, 2005, अनुच्छेद 159)।

iii) विष्व वित्तीय व्यवस्था के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं : निजी कम्पनियाँ तथा अभिकरण जैसे "बैंक, बचाव निधि (hedge funds), इक्वीटी फंड तथा मूल्य–निर्धारण अभिकरण" (rating agencies)। ढाँचीय परिवर्तनों के चलते किसी भी देष को ऋण अथवा आर्थिक सहायता देने सम्बन्धी निर्णय आँकड़ा प्रबंधकों (data managers), सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायिकों तथा शेयर बाज़ार को आकलन करने वालों की राय से अत्यधिक प्रभावित होते हैं।

iv) व्यापार में बहुपक्षीयवाद (Multilateralism) ने राष्ट्रीय अभिषासन की धारणा में आमूल परिवर्तन कर दिया है, जहाँ व्यापार सम्बन्धी समझौते विदेषी व्यापार सम्बन्धों पर चर्चा अथवा निर्णय के लिए किसी संसदीय कानून का इंतजार नहीं करते हैं। अब प्रत्येक सरकारी विभाग का अपना अलग अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय होता है जो अन्य देषों के समान विभागों के साथ समझौता करता है। *शेर–लोमड़ी* लोक प्रषासन व्यवस्था (*lion-fox* public administration system) को अब राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अत्याधिक विस्तृत, विकेन्द्रित, बहुपात्रीय तथा

बहुल–विषिष्टकरण अभिषासन व्यवस्था में परिवर्तित किया जा रहा है। इसमें कोई आष्चर्य नहीं कि विष्व स्तर पर अंतर्सरकारी संगठनों (intergovernmental organizations (IGOs) की संख्या (जो 1909 में 37 से बढ़कर 1999 में 300 तक पहुँच गई) में अत्याधिक वृद्धि हुई है जिनकी गतिविधियाँ राष्ट्रीय सरकारी विभागों के वित्तीय उत्तरदायित्व को दर्षाती हैं जिसमें वित्त से लेकर पेड़–पौधों तथा जीव–जन्तु तक सभी बातें निहित होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund; IMF) तथा विष्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization; WHO) जैसी औपचारिक संस्थाओं के अतिरिक्त पदाधिकारियों के उच्च स्तरीय कार्यकारी समूह, षिखर सम्मेलन बैठकें, गोष्ठियाँ तथा सम्बन्ध एवं समन्वय के अन्य कई अनौपचारिक तरीके कार्यरत रहते हैं। 100 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय षिखर सम्मेलन एक अपवाद होते थे, आज हर साल 400 से अधिक सम्मेलन आयोजित होते हैं (एंथनी मैकग्रा इन हेल्ड, (संपा.) 2004, पृष्ठ 138)।

14.3 विष्व व्यापार संगठन

विष्व व्यापार संगठन जिसकी स्थापना 1995 में हुई, द्वितीय विष्व युद्ध के बाद स्थापित व्यापार और सीमाषुल्क पर सामान्य समझोता (गेट) (General Agreement on Trade and Tariffs (GATT), की संस्थागत चरम–सीमा था। इसका मूल उद्देष्य व्यापार के प्रवाह को *सरल, मुक्त, न्यायोचित तथा भविष्य* सूचन बनाने में सहायता करता है। इसलिए मराकेष समझौते (Marrakesh Agreement) की प्रस्तावना में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों को सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्नलिखित बातें कहीं गई :

i) जीवन स्तर ऊपर उठाना,

ii) सम्पूर्ण रोज़गार प्रदान करना,

iii) वास्तविक आय तथा प्रभावी माँग में उत्तरोत्तर वृद्धि करना,

iv) वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में प्रसार करना,

v) पोषणकारी विकास को ध्यान में रखते हुए विष्व के संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग,

vi) आर्थिक विकास के विभिन्न स्तरों पर आवष्यकताओं तथा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण की सुरक्षा तथा विकास।

उपरोक्त उद्देष्यों के अतिरिक्त विष्व व्यापार संगठन इस बात का भी आष्वासन देता है कि विकासषील देषों, विषेषकर न्यूनतम विकसित, को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनके आर्थिक विकास की आवष्यकताओं के अनुरूप सुरक्षित स्थान मिलना चाहिए।

विष्व व्यापार संगठन के "एक अन्य प्रस्ताव के अनुसार इसे एक ऐसी संघटित, अपेक्षाकृत व्यावहारिक तथा बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था का विकास करना है जिसमें गैट एवं व्यापार उदारीकरण के प्रयत्नों के नतीजे तथा बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के उरगुई दौर (Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations) के नतीजे भी निहित हों" (बागची, 2000, पृष्ठ 12)। विष्व व्यापार संगठन का कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक है, यह गेट का महज विस्तार मात्र नहीं है। इसमें विष्व व्यापार के सभी पक्ष शामिल हैं जैसे, वस्तुओं, सेवाओं में व्यापार तथा नवाचार उत्पाद (products of innovations) (उदाहरण के लिए बौद्धिक स्वामित्व अधिकार (intellectual property rights)), निवेष, कृषि उत्पाद, कपड़ा तथा सिले हुए वस्त्र आदि) इसके द्वारा किए जाने वाले समझौतों तथा नियमनों में मूल उत्पाद, निर्मित उत्पाद, सेवाएँ, बौद्धिक स्वामित्व अधिकार सभी कुछ निहित हैं।

14.3.1 विष्व व्यापार संगठन के कार्य

अपने उद्देष्यों की प्राप्ति के लिए विष्व व्यापार संगठन निम्नलिखित कार्य करता है :

i) व्यापार समझौतों का प्रषासन,

ii) व्यापार समझौतों के लिए मंच प्रदान करना,

iii) व्यापार विवादों का निवारण,

iv) राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की पुनः जाँच,

v) तकनीकी सहायता तथा प्रषिक्षण कार्यक्रमों द्वारा विकासषील देषों की व्यापार नीति सम्बन्धी मामलों में सहायता करना, तथा

vi) अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ ताल–मेल स्थापित करना।

व्यापार नीति की पुनः जाँच तथा व्यापार विवादों का निवारण – विष्व व्यापार संगठन के दो प्रमुख कार्य हैं। व्यापारिक नीति समीक्षा बोर्ड (Trade Policy Review Board; TPRB) प्रत्येक निष्चित अवधि के बाद विभिन्न सदस्य देषों की व्यापार नीतियों की समीक्षा करता है। "इसका महत्व इस बात में है कि (i) यह विभिन्न देषों की नीतियों में समय–समय पर होने वाले परिवर्तनों पर नजर रखता है, (ii) व्यापार उदारीकरण को बनाए रखने का आष्वासन देता है, तथा (iii) यह विभिन्न देषों की व्यापार नीतियों में पारदर्षिता बनाए रखने का रचनातंत्र भी है" (भौमिक, 2006, पृष्ठ 36)।

विवाद निवारण वह प्रक्रिया है जो कि व्यापार विवादों को हल करने, अनुषासन लागू करने तथा विष्व व्यापार संगठन के व्यापार नियमों के अनुसरण का आष्वासन देती है। विष्व व्यापार संगठन के नियमों में एक विवाद निवारण निकाय की स्थापना करने का प्रावधान है जिसके पास "पैनल तथा अपील निकाय रिपोर्ट" (panels and appellate body reports) को अपनाना तथा विष्व व्यापार संगठन के निर्देषों तथा सिफारिषों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने का अधिकार होता है (बागची, पृष्ठ 109) । विवाद निवारण के उद्देष्य तथा ढाँचे को संक्षिप्त रूप में इस तरह रेखांकित किया जा सकता हैः (i) बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था की सुरक्षा तथा भविष्य सूचना सुनिष्चित करना, (ii) समझौतों में सम्मिलित राज्यों के अधिकार तथा कर्त्तव्यों की रक्षा करना, (iii) सदस्य–राज्यों के अधिकार तथा कर्त्तव्यों में संतुलन स्थापित करना, तथा (iv) विवादों का संतोषजनक हल ढूँढ़ना। इनमें पारस्परिक सहमति पर आधारित हल को वरीयता दी जाती है। परन्तु सहमति पर आधारित समझौतों के अभाव में विवाद निवारण रचनातंत्र के पास पहला विकल्प यह होता है कि यदि कोई उपाय समझौतों के प्रावधानों से मेल नहीं खाते तो उन्हें वापस ले लिया जाए, तथा आखिरी विकल्प यह होता है कि सभी प्रकार की "रियायतों" तथा "दायित्वों" को निलम्बित कर दिया जाए। जहाँ तक संभव हो सकता है, विवाद निवारण निकाय (Dispute

Settlement Body; DSB) विवादों का निवारण नेक नियति से करता है। विवादों के इस हल का कानूनी महत्व यह है कि किसी भी देष की राष्ट्रीय न्यायपालिका भी विष्व व्यापार संगठन के आदेषों में बाधा नहीं डाल सकती। इससे विष्व व्यापार संगठन को अधिराष्ट्रीय कानूनी दर्ज़ा मिल जाता है, एक ऐसी बहुपक्षीय कानूनी संस्था जिसके पास सदस्य–देषों पर अपने निर्णय लागू करवाने का सार्वभौम अधिकार है।

14.3.2 व्यापार तथा पर्यावरण

विष्व व्यापार संगठन के नियम व्यापार तथा पर्यावरण में सुस्पष्ट संयोजन (linkages) स्वीकार करते हैं। पर्यावरण और विकास पर 1992 में हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UN Conference on Environment and Development; UNED) में कहा गया, "पर्यावरण तथा व्यापार नीतियाँ परस्पर समर्थक होनी चाहिए। मुक्त बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था संसाधनों के बेहतर आवंटन तथा प्रयोग को संभव बनाती है जिससे उत्पादन तथा आय में वृद्धि होती है जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण पर दबाव कम पड़ता है। यहीं नहीं यह आर्थिक वृद्धि के लिए अतिरिक्त साधन प्रदान करती है। दूसरी तरफ, एक स्वस्थ पर्यावरण सम्पोषित विकास के लिए वनस्पति तथा अन्य संसाधन प्रदान करता है तथा व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि के ठोस आधार बनाता है।" (कोल में उद्धृत, 2005, पृष्ठ 551)। वास्तव में विष्व व्यापार संगठन के नियमों के अंतर्गत व्यापारिक सरलीकरण बिना किसी अपवाद अथवा भेदभाव के सम्पोषित विकास (sustainable development) की धारणा के अनुकूल होना चाहिए।

गेट के अनुच्छेद XX के अनुसार, इस आवष्यकता का ख्याल रखते हुए कि इन उपायों को इस तरह लागू न किया जाए कि समान परिस्थितियों में वे विभिन्न देषों के बीच अनुचित भेदभाव करें अथवा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर परोक्ष प्रतिबंध लगाएँ, इस समझौते के अनुसार किसी भी देष को निम्नलिखित उपायों को अपनाने अथवा लागू करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ये उपाय हैं: (i) मानवीय, पाष्विक, वनस्पति तथा जीव–जन्तुओं के जीवन तथा स्वास्थ्य से संबंधित उपाय; और (ii) अपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित उपाय, (यदि ये उपाय घरेलू उत्पादन तथा उपभोग पर सीमा लगाकर प्रभावषाली बनाए

जा सकते हैं।) इन उद्देष्यों को पूरा करने के लिए 2001 की दोहा घोषणा (Doha Declaration) ने व्यापार तथा पर्यावरण के पारस्परिक समर्थन पर विषेष बल दिया। इस घोषणा द्वारा अपनाए गए कार्यक्रम में विष्व व्यापार संगठन की व्यापार तथा पर्यावरण समिति (WTO's Committee on Trade and Environment; CTE) को निम्न बातों पर विषेष ध्यान देने के लिए कहा गयाः

i) "पर्यावरण सम्बन्धी उपायों का बाज़ार पहुँच (market access) पर प्रभाव, विषेषतः विकासषील देषों (और उनमें भी अत्याधिक अविकसित) के संदर्भ में तथा वे परिस्थितियाँ जहाँ व्यापार प्रतिबंधों अथवा विकृतियों को समाप्त करने अथवा हटाने से व्यापार, पर्यावरण तथा विकास में लाभ हो सकता है।

ii) बौद्धिक स्वामित्व अधिकार के व्यापार सम्बन्धी पक्षों पर समझौते (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) से संबंधित प्रावधान; और

iii) पर्यावरण उद्देष्य हेतु लेबलिंग की आवष्यकता" (देखिए विष्व व्यापार संगठन, भाग 1, स्रोत http://www.wto.org)।

व्यापार तथा पर्यावरण के संदर्भ में सूचनाओं का आदान–प्रदान तथा क्षमता निर्माण विष्व व्यापार संगठन के अन्य महत्वपूर्ण उद्देष्य हैं। वास्तव में, व्यापार नियमन को पर्यावरण की सुरक्षा का महत्वपूर्ण यंत्र माना जाता हैं इसने विष्व अर्थव्यवस्था में सर्टिफिकेट ट्रेडिंग (certificate trading) की महत्वपूर्ण धारणा आरंभ की है।

14.3.3 व्यापार तथा निवेष

विष्व व्यापार संगठन का एक महत्वपूर्ण उद्देष्य सदस्य–देषों के लिए सीमापार निवेष के लिए पारदर्षी, स्थायी तथा विधेयात्मक परिस्थितियाँ जुटाना है, विषेषतः विदेषी प्रत्यक्ष निवेष। यह निवेष शेयर बाज़ार पूँजी, संयुक्त निगमों में पुनः निवेष अथवा कम्पनियों द्वारा लिए जाने वाले ऋण के रूप में हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि व्यापार तथा आर्थिक वृद्धि की मात्रा औद्योगिक वृद्धि एवं विकास के मूल क्षेत्रों में मुद्रा प्रवाह तथा निवेष की प्रकृति, सीमा और मात्रा के सीधे अनुपात में होती है। "विदेषी प्रत्यक्ष निवेष (FDI) प्रायः

संसाधनों के समूह के रूप में आता है जो पूँजी के अतिरिक्त उत्पादन तकनीक, संगठनात्मक तथा प्रबंधन कुषलता, विपणन ज्ञान (Marketing know-how) तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विपणन नेटवर्क के माध्यम से बाज़ार पहुँच आदि के रूप में होता है। ये कुषलताएँ मेज़बान देष के घरेलू उद्योग में भी फैलने लगती हैं। अतः कुल मिलाकर विकास में विदेषी प्रत्यक्ष निवेष की योगदान की मात्रा घरेलू निवेष के अपेक्षा अधिक होने की संभावना होती है।" (*विष्व व्यापार एवं विकास रिपोर्ट*, 2003, पृष्ठ 44)। मुद्दों की जटिलता को देखते हुए विष्व व्यापार संगठन यह आवष्यक समझता है कि विकासषील तथा न्यूनतम विकसित देषों के लिए तकनीकी सहायता तथा क्षमता निर्माण (नीति विष्लेषण तथा विकास समेत) के लिए अधिक समर्थन की आवष्यकता है ताकि ये देष स्वयं विकास नीतियों एवं उद्देष्यों के मानवीय एवं संस्थागत विकास के लिए नजदीकी बहुपक्षीय सहयोग के निहितार्थ आषय का मूल्यांकन कर सके। (*दोहा घोषणापत्र*, 2001, अनुच्छेद 21)।

व्यापार सम्बन्धी निवेष उपाय (Trade Related Investment Measures; TRIMS) का समझौता केवल वस्तुओं के व्यापार पर लागू होता है तथा इसका निर्माण इस प्रकार किया गया है कि यह विदेषी निवेष को समतल क्षेत्र (level playing field) प्रदान कर सके। आन्तरिक कर–प्रणाली तथा आर्थिक सहायता (subsidy) व्यापार सम्बन्धी निवेष उपाय (TRIMS) के अन्तर्गत नहीं आते। इसी तरह यह किसी निकाय द्वारा स्थानीय स्रोतों से माल खरीदने, व्यापार संतुलन की शर्त, आयात की मात्रा को विदेषी मुद्रा प्रवाह तक सीमित रखने, तथा निर्यात को स्थानीय उत्पादन की मात्रा के अनुपात तक सीमित रखना जैसे प्रबंधों पर भी प्रतिबंध लगाता है। वास्तव में व्यापार सम्बन्धी निवेष उपायों का उद्देष्य व्यापार तथा निवेष को स्थानीय विषयक शर्तों तथा संख्यामूलक प्रतिबंधों से मुक्त करना है। यह विभिन्न सदस्य–राज्यों को इन विषयों पर स्वेच्छा से निर्णय लेने का अधिकार देता है जैसे "स्थानीय पूँजी निवेष अंष की आवष्यकता, निर्यात प्रतिबद्धताएँ (obligations), स्थानीय कामगारों की विदेषी कम्पनियों में नौकरी/हिस्सेदारी, विदेषी कम्पनियों के लाभांष प्रेषण पर प्रतिबंध, विदेष–विनिमय प्रतिबंध, उत्पादन में आयात अंष पर नियंत्रण, उत्पाद विपणन की आवष्यकता (product marketing requirements), तकनीकी हस्तांतरण की माँग,

विषिष्ट उत्पादन तकनीक का प्रयोग, विषिष्ट वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध आदि" (बागची, 2000, पृष्ठ 21)।

विष्व व्यापार संगठन का प्रयत्न रहता है कि व्यापार तथा निवेष में पारदर्षिता तथा उत्तरदायित्व के माध्यम से मेज़बान तथा मेहमान देषों के हितों में सामंजस्य लाया जाए। इसके लिए विष्व व्यापार संगठन समझौता वार्ताएँ परस्पर पार्टियों की अनिवार्य बाध्यताओं को समय–समय पर परिभाषित तथा पुनःपरिभाषित करती रहती है, एवं व्यापार और निवेष के महत्वपूर्ण मुद्दों, जैसे तकनीक हस्तांतरण, सीमित व्यवसाय गतिविधियाँ, उपभोक्ता तथा पर्यावरण संरक्षण, पर सूचनाओं का नियमित रूप से आदान प्रदान करती रहती है।

इस पृष्ठभूमि के संदर्भ में तथा इसी कारण, प्रतिस्पर्धा नीति (competition policy) व्यापार उदारीकरण के एक प्रमुख मुद्दे के रूप में उभर कर आई है। यह प्रतिस्पर्धा नीति "विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धा विरोधी परम्पराओं का प्रतिकार करती है जैसे कीमतें निष्चित करना, अन्य उत्पादन संघों के परस्पर समझौते, किसी प्रधान पद का दुरूपयोग, एकाधिकारीकरण, प्रतिस्पर्धा सीमित करने वाले विलय, तथा नए प्रतिद्वंदियों को बाज़ार में प्रवेष करने से रोकने के लिए आपूर्ति तथा वितरकों के बीच समझौते" (*विष्व व्यापार एवं विकास रिपोर्ट*, 2003, पृष्ठ 50)।

दूसरे शब्दों में, प्रतिस्पर्धा नीति का उद्देष्य उचित संस्थागत निर्णय सम्बन्धी आदेष माध्यमों द्वारा तात्विक कानून, क्रियात्मक आवष्यकता तथा कार्यान्वयन परम्पराओं के बीच समन्वय होना चाहिए।

14.3.4 व्यापार सम्बन्धी बौद्धिक स्वामित्व अधिकार

अब हम बौद्धिक स्वामित्व अधिकार (Intellectual Property Right) की चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न नवीन उत्पादों, शोध कार्यों, ट्रेड–मार्कों, भौगोलिक संकेतों, डिजाइनों तथा गुप्त सूचनाओं आदि को पेटेन्ट करवाने तथा उनके प्रकाषनाधिकार को सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाए जाते हैं। यह भौगोलिक सीमाओं से पार उचित व्यापार की अनिवार्य शर्त है तथा प्रकाषनाधिकार को बेचना अथवा किराए पर देना निजी पूँजी के विकास का

महत्वपूर्ण साधन है। विष्व व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारा स्वीकृत प्रकाषनाधिकार के किरायेदारों को इस प्रकार रेखांकित किया जा सकता हैः

i) प्राधिकार देना (authorising) जैसे साहित्यिक कार्य, कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, चलचित्र कला।

ii) प्रकाषनाधिकार सुरक्षा को केवल अभिव्यक्ति तक सीमित रखना तथा विचारों, कार्यविधियों, गणित अवधारणाओं तथा संचालन के उपागमों को इस संरक्षण से मुक्त रखना।

iii) पूरक अधिकारों (copyrights) के सिद्धान्त को मान्यता देना अर्थात् मुख्य अधिकारों के अनुपालन के नतीजों से संबंधित अधिकार। इन्हें पड़ोसी अधिकार (neighbouring rights) भी कहा जाता है जिसमें अभिनेताओं, निर्माताओं, फोनोग्राम तथा प्रसारकों के अधिकार भी निहित है। यह स्थापित प्रकाषनाधिकारों, कार्यक्रमों तथा निर्माण का अवैध निर्माण, कॉपिंग, रिकॉर्डिंग तथा पुनः प्रसारण पर रोक लगाता है।

iv) ट्रेडमार्क का पंजीकरण – एक ऐसे संकेत अथवा संकेतों का समूह जो किसी कम्पनी के उत्पाद अथवा सेवा को दूसरी कम्पनी के वैसे ही उत्पाद अथवा सेवा से भिन्न कर सकने के काबिल हो। ये ऐसे ट्रेडमार्कों का दूसरी कम्पनियों द्वारा प्रयोग करने, समान अथवा उनसे मिलते जुलते ट्रेडमार्क बनाने से रोकता है।

v) वस्तुओं तथा उत्पाद के भौगोलिक स्रोत (प्रथम स्रोत का क्षेत्र) की स्थापना तथा उसे मान्यता देना।

vi) स्वायत्त स्तर पर निर्मित औद्योगिक डिजाइनों तथा लेआऊटस (layouts) का संरक्षण।

vii) नई तकनीकी खोजों को पेटेन्ट करवाना। यह प्रायः तीन मानदण्डों पर आधारित होती है : नयापन, औद्योगिक उपयुक्तता तथा नई खोज का अंष।

viii) व्यापार सम्बन्धी जानकारी तथा गोपनीयता सुरक्षित रखना।

व्यापारिक सम्बन्धी बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (Trade Related Intellectual Property Rights; TRIPs) का समझौता कई और क्षेत्रों पर भी लागू होता है जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य (वर्तमान दवाइयों तक पहुँच तथा नई दवाइयों के लिए खोज एवं विकास में सहयोग करना), वाईन तथा स्पीरिटों के भौगोलिक संकेतों की सूचना तथा पंजीकरण की बहुपक्षीय व्यवस्था, जैविक विभिन्नता, परम्परागत ज्ञान तथा लोक संस्कृति का संरक्षण। संक्षेप में, व्यापारिक सम्बन्धी बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (TRIPs) के अंतर्गत वस्तुओं की सूची में समय–समय पर वृद्धि होती रहती है जो पंजीकरण, लाइसैंसिंग, प्रकाषनाधिकार तथा संरक्षण में पारदर्षिता बनाए रखती है।

14.4 यूरोपीय संघ, व्यापार तथा वैष्वीकरण

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, क्षेत्रीयकरण वैष्वीकरण प्रक्रिया की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। विष्व व्यापार संगठन ने इसे और अधिक सषक्त कर दिया है। यदि कुछ राज्य विषिष्ट परिस्थितियों के अधीन क्षेत्रीय सहयोग का समझौता कर लेते हैं तो विष्व व्यापार संगठन इन सदस्य–राज्यों को व्यापार में अपेक्षाकृत अनुकूल शर्तें प्रदान करता है। व्यापार में क्षेत्रीय संघटन सदस्यों को व्यापार के सामान्य नियमों में काफी बाजदावे (waivers) प्रदान करता है। यह द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय समझौतों के लिए उत्साहवर्धन का कार्य करता है। *विश्व आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण*, 2005 (पृष्ठ 63) के अनुसार, "ये समझौतें क्षेत्रीय समूह के सदस्य–देषों को ऐसी वरीयताएँ देने का अधिकार देते हैं जो बाहर वालों को नहीं मिल पातीं तथा जिनमें व्यापार प्रवाह एवं विष्व व्यापार व्यवस्था को पुनः समायोजित करने की क्षमता होती है।" क्षेत्रीय संघटन की यह नई व्यवस्था पुरानी क्षेत्रीय संघटन व्यवस्था से गुणमूलकता के आधार पर काफी भिन्न है। *विश्व आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण*, 2005 के अनुसार, "इसका केन्द्र अपेक्षाकृत अधिक व्यापक है अर्थात् यह केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें कई अन्य विषय भी निहित हैं जैसे सेवाएँ, निवेष संरक्षण, बौद्धिक स्वामित्व अधिकार, श्रम मानदण्ड, पर्यावरण मुद्दे, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कुछ घरेलू नियम आदि। व्यापार सरलीकरण

ऐसी योजनाओं का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके अतिरिक्त ये नई योजनाएँ बाह्योन्मुखी अधिक हैं तथा ये "मुक्त क्षेत्रीयवाद" (open regionalism) में विष्वास करती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी क्षेत्रीय सयोजनाएँ भी सामने आ रही हैं जो विकसित तथा विकासषील देषों को आपस में जोड़ती हैं जैसे उत्तरी–अमरीकी मुक्त व्यापार समझौता, नाफ्टा (North American Free Trade Agreement; NAFTA), यूरोपीय संघ–टर्की शुल्क संघ, तथा प्रस्तावित यूरो–मैडिट्रेनियन आर्थिक क्षेत्र (Euro-Mediterranean economic area) जिसकी 2010 तक बन जाने की संभावना है।"

विष्व अर्थव्यवस्था में यूरोपीय संघ का बढ़ता हुआ महत्व इसकी बाह्य नीति को इसकी प्रसार नीति तथा प्रतिस्पर्धा नीति के संदर्भ में समझने की आवष्यकता है। यूरोपीय संघ में सदस्यता के मानदण्ड आवेदक देष के कुछ विषिष्ट आधारों के कठोर मूल्यांकन पर आधारित हैं। ये हैं : (i) प्रजातंत्र का व्यावहारिक स्तर, कानून का शासन, मानव अधिकार, तथा अल्पसंख्यकों के लिए सम्मान, (ii) सक्रिय बाज़ार अर्थव्यवस्था तथा प्रतिस्पर्धा के दबावों को सहन करने की क्षमता, (iii) सदस्यता के कर्त्तव्यों को निभाने की योग्यता जिसका व्यावहारिक अर्थ है यूरोपीय संघ के नियमों तथा नियमावलियों को प्रभावषाली ढंग से लागू करने की योग्यता। यूरोपीय संघ के प्रसार का अर्थ है इसके नए सदस्यों में स्थायित्व तथा समृद्धता के क्षेत्र का प्रसार करना। एकल शुल्क दरें, सांझे प्रषासनिक कानून एवं कार्यविधियाँ तथा एकल बाज़ार तक पहुँच जो यूरोप के अंदर इन कर्त्ताओं के बीच आदान–प्रदान को सरल बना देते हैं तथा व्यापार तथा निवेष की परिस्थितियों में भी सुधार कर देते हैं। वास्तव में यूरोपीय संघ आरंभ से ही विष्व व्यापार के क्रमिक विकास तथा नियमों पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दिषा में कार्यरत है ताकि निवेष तथा उसके विकल्पों के लिए चुनाव के लिए आवष्यक भविष्य सूचक प्रदान किए जा सके। यूरोपीय संघ की आंतरिक और बाह्य नीतियों में अटूट रिष्ता है। सांझी सीमा शुल्क व्यवस्था, मौद्रिक संघ तथा सांझी व्यापार नीति के निर्माण का इसकी विदेष व्यापार नीति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक तथा मौद्रिक संघ ने यूरो के उदय तथा चलन में सहायता की जो आज संसार की दूसरे स्थान की महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा भण्डार मुद्रा बन गया है। अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा ने सम्पूर्ण विष्व में महत्वपूर्ण तकनीकों में यूरोपीय संघ के

मानदण्ड स्थापित करने पर मजबूर किया है। इसके कानून तथा नियम चीन के मोटर उद्योग तथा खाद्यान्न सुरक्षा में लागू किए जाते हैं, मोबाइल फोन, कॉर्डलैस फोन तथा सम्पूर्ण विष्व में करोड़ों लोगों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले बॉडबैन्ड तकनीक में भी यूरोपीय GSM के मानदण्ड लागू किए जाते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में यूरोपीय संघ ने विकासषील देषों को प्राथमिकता पर आधारित बाज़ार – पहुँच प्रदान की है। इस संदर्भ में अफ्रीकन कैरेबिनयन तथा प्रषान्त क्षेत्रों के देषों में (ACP) तथा वरीयताओं की सामान्यकृत व्यवस्था (Generalized System of Preferences; GSP) का उल्लेख अति आवष्यक है। वरीयताओं की सामान्यकृत व्यवस्था के अन्तर्गत यूरोपीय संघ 178 विकासषील देषों को प्राथमिकता पर आधारित बाज़ार पहुँच प्रदान करती है। यूरोपीय आयोग ने वरीयताओं की सामान्यकृत व्यवस्था के संदर्भ में 2006–15 की अवधि के लिए नए दिषा–निर्देष बनाए हैं। इन नए दिषा–निर्देषों को यूरोपीय परिषद के प्रस्ताव संख्या 980/2005 द्वारा जून 2005 में अपनाया गया जो 1 जनवरी 2006 में लागू हुआ। इन दिषा–निर्देषों का विषेष निषाना मुख्यतः अत्याधिक गरीब विकासषील देष हैं। इसके अंतर्गत वरीयताओं की सामान्यकृत व्यवस्था के वर्तमान पाँच प्रबंधों को घटाकर तीन कर दिया गया है। ये हैंः सामान्य प्रबंध, हथियारों के अतिरिक्त सब कुछ, विष्व के 50 निर्धनतम राज्यों को यूरोपीय संघ के बाज़ारों तक शुल्क मुक्त तथा कोटा मुक्त पहुँच। इनके अतिरिक्त एक नई वरीयताओं की सामान्यकृत व्यवस्था जिसमें विषेष विकास की आवष्यकता वाले देषों के लिए प्राथमिक सीमा दरें प्रदान करना। यूरोपीय संघ ने वरीयताओं की सामान्यकृत व्यवस्था+ (GSP+) नाम की व्यवस्था भी आरंभ की है जिसके अंतर्गत उन देषों को विषेष प्रोत्साहन दिए जाएँगे जो सामाजिक अधिकारों, पर्यावरण सुरक्षा तथा अभिषासन तथा मादक पदार्थों के विरुद्ध संघर्ष में अन्तर्राष्ट्रीय परम्पराओं का पालन करते हैं। यह नई वरीयताओं की सामान्यकृत व्यवस्था+ (GSP+) व्यवस्था एक क्रमिक विकास कार्यक्रम आरंभ करने जा रही है जिसके अंतर्गत उन देषों में वरीयताओं की सामान्यकृत व्यवस्था योजना को समाप्त कर दिया जाएगा जो यूरोपीय बाज़ार में प्रतिस्पर्धी हैं और जिन्हें अपना निर्यात बढ़ाने के लिए वरीयताओं की सामान्यकृत व्यवस्था की

आवष्यकता नहीं है (देखिए *ई यू – इंडिया अपडेट*, खंड 4, संख्या 4, जुलाई – अगस्त 2004, पृष्ठ 8) ।

यूरोपीय संघ ने अफ्रीकन कैरेबियन तथा पैसिफिक (ACP) देषों के साथ भी विकास सहयोग समझौता किया हैं इस समझौते का उद्देष्य "अफ्रीकन, कैरीबियन तथा पैसिफिक देषों के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहन देना, तथा (यूरोपीय संघ तथा इसके सदस्य–देषों), एवं देषों के एक परस्पर सम्बन्धों को सुदृढ़ करना एवं व्यापक बनाना है।" यूरोपीय संघ–अफ्रीकन कैरेबियन तथा पैसिफिक समझौता 2010 तक एक नए मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करना चाहता है। एक बार यह स्थापित हो गया "तो मैडिट्रेनियन बाज़ार में निर्मित उत्पादों का शुल्क मुक्त व्यापार संभव हो जाएगा जो 80 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए संसार का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र बन जाएगा।" एक अनुमान के अनुसार अफ्रीकन, कैरेबियन तथा पैसिफिक देषों का 97 प्रतिषत यूरोपीय संघ के बाजरों में आयात शुल्क मुक्त होता है तथा शुल्क दरों में किसी प्रकार की वृद्धि भी न के बराबर है। विष्व के न्यूनतम विकसित देषों (Least Development Countries; LDC) के व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए यूरोपीय संघ ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैंः (i) न्यूनतम विकसित देषों से होने वाले सभी निर्यातों (षस्त्र छोड़कर) को यूरोपीय संघ में शुल्क मुक्त तथा कोटा मुक्त प्रवेष; (ii) न्यूनतम विकसित देषों के संदर्भ में डम्पिंग विरोधी नियमों से परहेज करने के लिए बहुपक्षीय उपक्रमण (बषर्ते इन्हें रोकने के लिए उचित संरक्षण उपलब्ध हों); (iii) न्यूनतम विकसित देषों के विष्व व्यापार संगठन में प्रवेष के लिए द्रुतगामी पहुँच की सुविधा; (iv) वृहत् व्यापार सम्बन्धी तकनीकी सहायता तथा क्षमता निर्माण की सुविधा जिसमें न्यूनतम विकसित देषों को अपने निर्यात बाज़ार के मानदण्ड पूरे करने में सहायता करना तथा समेकित ढाँचागत ट्रस्ट कोष (Integrated Framework Trust Fund) में योगदान शामिल हैं; (v) एच.आई.वी./एड्स, मलेरिया तथा तपेदिक के विरुद्ध कार्यवाही; (vi) न्यूनतम विकसित देषों के क्षेत्रीय सहयोग को समर्थन देते रहने की कटिबद्धता; (vii) न्यूनतम विकसित देषों में अधिक प्रभावषाली ढंग से निवेष में उन्नति करने में अंतर्राष्ट्रीय योगदान और (viii) न्यूनतम विकसित देषों को विषेष लाभ पहुँचाने वाले विष्व व्यापार संगठन कार्यान्वयन प्रस्तावों को पहचानने का

वादा।" (*यूरोपियन यूनियन न्यूज,* खंड 11, संख्या 3, मई – जून 2001 में उद्धित) इन सभी कदमों का मिलाजुला प्रभाव यह रहा है कि विकासषील देषों का 79 प्रतिषत निर्यात यूरोपीय संघ में शुल्क रहित प्रवेष कर रहा है। अन्य आँकड़ों के अनुसार विकासषील देषों का 20 प्रतिषत निर्यात यूरोपीय संघ को होता है। ये यूरोपीय संघ के आयात का 40 प्रतिषत है। 2004 की विष्व मॉनीटरिंग रिपोर्ट (Global Monitoring Report) के अनुसार विकासषील देषों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ सबसे अधिक मुक्त–बाज़ार ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यापारिक भागीदार है जिसने अपना औसत संरक्षण स्तर (average protection levels) इन देषों के पक्ष में बनाने के लिए अधिकतम प्रयास किया है।

यूरोपीय संघ ने अनेक अर्न्त–क्षेत्रीय अथवा द्विपक्षीय वरीयता समझौतों (bilateral preferential agreements) पर हस्ताक्षर किए हैं जैसे मुक्त व्यापार क्षेत्र (Free Trade Areas; FTAs), पड़ोसी केन्द्रीय तथा पूर्वी यूरोपीय देषों तथा बाल्टिक राज्यों के साथ यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (European Free Trade Association; EFTA), साईप्रस टर्की तथा माल्टा के साथ कस्टम यूनियन, तथा यूरोपीय संघ–मरकोसर अंतर्क्षेत्रीय ढाँचागत सहयोग संघ (Interregional Framework Cooperation; IFCA) जिस पर 1995 में हस्ताक्षर किए गए। इन सभी द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय समझौतों का कुल प्रभाव यह हुआ है कि यूरोपीय संघ अब अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरण के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के काबिल हो गया है हालाँकि यह इस तथ्य को भी स्वीकार करता है कि यूरोपीय समुदाय को यूरोपीय संघ तक पहुँचाने के लिए अमेरिका का व्यापक योगदान रहा है। यूरोपीय संघ ने विष्व के महत्वपूर्ण देषों के साथ विषिष्ट मुद्दों पर भी समझौते किए हैं। इनमें प्रमुख हैं : "अमेरिका के साथ यूरोपीय सुरक्षा तथा आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष का मुद्दा, रूस के साथ ऊर्जा समझौता तथा अन्य महत्वपूर्ण उत्पादकों तथा संगठनों के साथ हिस्सेदारी, कई देषों के साथ मानव अधिकार सम्बन्धी समझौते, भारत तथा चीन के साथ विष्व सम्पोषित विकास पर चर्चा आदि।"

14.5 यूरोपीय संघ तथा विकास सहयोग नीति

यूरोपीय संघ की विकास नीति का मुख्य उद्देष्य सम्पोषित विकास को ध्यान में रखते हुए गरीबी का निवारण है। इस संदर्भ में यूरोपीय संघ ने आठ उद्देष्य निष्चित किए हैं जिन्हें सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (Millennium Development Goals; MDGs) कहा जाता है। ये हैंः अत्यधिक गरीबी तथा भूखमरी का निवारण, सर्वव्यापक प्राथमिक षिक्षा की उपलब्धि; लिंग समानता तथा नारी शक्ति को प्रोत्साहन; बच्चों की मृत्यु दर में कमी करना; मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार; एच.आई.वी./एड्स, मलेरिया तथा अन्य घातक बीमारियों की रोकथाम; सम्पोषित विकास का संरक्षण, तथा विकास के लिए विष्व सांझेदारी के लिए कार्य करना। इसके लिए यूरोपीय संघ अपनी आंतरिक नीतियों में सुस्पष्ट परिवर्तन करने तथा बाह्य दृष्टिकोण में विकास के लिए विष्व व्यापार संगठन के ढाँचे के अंतर्गत आर्थिक सहयोग उपक्रमणो के लिए कटिबद्ध हैं। इसी तरह, विष्व स्तर पर संतुलित विकास के लिए यूरोपीय संघ न्यूनतम विकसित देषों को निरंतर सहयोग देता रहेगा। यूरोपीय संघ के चिंतन के अनुसार गरीबी का अभिप्रायः उन सभी क्षेत्रों से है जहाँ लोग (स्त्री तथा पुरुष दोनों) स्वयं को वंचित अथवा अयोग्य पाते हैं। गरीबी के मूल आयाम आर्थिक, मानवीय, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा संरक्षण क्षमताएँ हैं। गरीबी का सम्बन्ध मानव क्षमताओं से है जैसे उपभोग तथा खाद्यान्न सुरक्षा, स्वास्थ्य, षिक्षा अधिकार, अभिव्यक्ति की क्षमता, मानव सुरक्षा (विषेषकर गरीबी से) प्रतिष्ठा तथा सम्मानजनक कार्य। अतः गरीबी निवारण की प्रक्रिया तभी सफल हो सकती है यदि मानव आवष्यकताओं में निवेष (जैसे स्वास्थ्य, षिक्षा, आदि), प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, ग्रामीण रोज़गार सुरक्षित करने का अधिकार ... तथा धन के उर्पाजन (जैसे काम के अवसर पैदा करना, सम्पत्ति अधिकार, मूल ढाँचों का निर्माण, ऋण सुविधा) सभी में निवेष को समान महत्व दिया जाए। (अनुच्छेद 11, ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, काउंसिल, कमीशन, 2006/46/01)।

जहाँ तक विकासषील देषों में गरीबी मिटाने का प्रष्न है, यूरोपीय संघ की विकास सहयोग नीति प्रभावषाली आर्थिक सहायता व्यवस्था पर केन्द्रित है जिनमें मुख्य हैः परियोजना सहायता के लिए पूरक घटक (complementary components), क्षेत्रीय कार्यक्रमों को समर्थन, क्षेत्रीय तथा सामान्य बाज़ार समर्थन संकटमोचन के लिए सामान्य अनुदान तथा सहायता, आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए नागरिक समाज को

शामिल करना, विष्व व्यापार संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रावधानों तथा आदेषों के अनुरूप कानूनों, मानकों तथा मानदण्डों में सादृष्यता। पेरिस घोषणा के अनुसार यूरोपीय संघ एक द्रुतगामी आर्थिक सहायता पहुँचाने वाले रचनातंत्र पर बल देता है जिसमें निम्नलिखित बातें निहित होनी चाहिए : (i) समन्वय कार्यक्रमों के माध्यम से सभी प्रकार की क्षमता निर्माण सहायता जिसमें अधिकारिक दाताओं को शामिल किया गया हो, (ii) सरकार को दी जाने वाली सहायता का 50 प्रतिषत देषीय व्यवस्था (country system) द्वारा पहुँचाना, (iii) किन्हीं नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन इकाईयों की स्थापना से बचना, (iv) ग़ैर–समन्वित मिषनों की सख्यों में 50 प्रतिषत कमी करना। यूरोपीय संघ के मतानुसार विकासषील देषों के लिए उनकी व्यापक राष्ट्रीय योजनाओं के संदर्भ में सबसे प्रभावी यंत्र उनके व्यापार में सुधार लाना है। इस संदर्भ में यूरोपीय संघ क्रमबद्ध तरीके से उनके बाज़ारों को मुक्त व्यापार के लिए खोलने पर बल देता है, विषेषकर उन उत्पादों से आरंभ करके जिनका निर्यात विकासषील देषों के हित में है परन्तु जो मुक्त, न्यायसंगत, समतावादी कानून पर आधारित, बहुपक्षीय व्यापारिक व्यवस्था पर आधारित हो और जिसमें कमज़ोर देषों के हितों तथा चिंताओं का पूरा ख्याल रखा गया हो। यूरोपीय संघ विकासषील तथा विकसित देषों एवं विकासषील देषों में परस्पर व्यापार में वृद्धि के लिए विषिष्ट तथा भिन्न व्यवहार (Special and different treatment) तथा अधिमान कटाव (preferential erosion) के मुद्दों पर भी ध्यान देगी। संयुक्त वक्तव्य में आगे कहा गया कि यूरोपीय संघ इस बात को प्रोत्साहित करेगा कि सभी विकसित देष न्यूनतम विकसित देषों के लिए कोटा मुक्त तथा शुल्क–मुक्त–बाज़ार पहुँच की सुविधा दें। यूरोपीय संघ अपने कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले समर्थन से संबंधित व्यापार विसंगतियों के स्तर को दूर करेगा तथा विकासषील देषों को कृषि के विकास में सहयोग देगा।

यूरोपीय संघ विकास को वैष्वीकरण के साथ जोड़ता है जिसमें यह लाभों को अधिकाधिक करके तथा लागत को विकासषील देषों के साथ समतावादी आधारों पर बाँटकर अपना योगदान देने को आतुर है क्योंकि इसके बिना एक स्थायी एवं शान्तिपूर्ण विष्व व्यवस्था का निर्माण नहीं हो सकता। यूरोपीय संघ की विकास सहयोग नीति को निम्नलिखित आधारों पर रेखांकित किया जा सकता हैः

1) विभिन्न देषों में गरीबी उन्मूलनः कम आय तथा विकासषील देष विषेष रूप से यूरोपीय संघ की विकास सहयोग नीति के केन्द्र बिन्दु हैं।

2) विकास सम्बन्धी सहायता का निषाना विकासषील देषों के व्यापार को आगे बढ़ाने में सहायता करना होना चाहिए।

3) एक समतावादी विष्व व्यवस्था प्राप्त करने के लिए वैष्वीकरण एक सकारात्मक प्रक्रिया है।

14.6 यूरोपीय संघ तथा विष्व व्यापार संगठन

विष्व व्यापार संगठन में यूरोपीय संघ प्रमुख खिलाड़ियों में से एक है। यह दोहा विकास कार्यसूची का प्रबल समर्थक है। विष्व व्यापार संगठन में इसकी विषाल उपस्थिति का प्रमुख कारण इसके सभी 25 सदस्यों की सांझी व्यापार नीति है। विष्व व्यापार संगठन में यूरोपीय संघ एकल इकाई के रूप में कार्य करता है। यूरोपीय आयोग इन देषों के नाम पर व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करता है तथा इन सदस्य–राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यूरोपीय संघ की व्यापार नीति का कानूनी अधिकार यूरोपीय समुदाय संधि का अनुच्छेद 133 है जिसके अंतर्गत दी गई शक्ति के आधार पर यूरोपीय आयोग विष्व व्यापार संगठन में एक इकाई के रूप में समझौता करता है। विष्व व्यापार संगठन में यूरोपीय संघ के व्यापार सम्बन्धी निर्णय एक ठोस निर्णय निर्माण व्यवस्था पर आधारित होते हैं जिनमें सदस्य देषों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों हितों का ख्याल रखा जाता है। अनुच्छेद 133 एक समिति के गठन की माँग करता है जिसे "समिति 133" कहते हैं जिसमें सभी 27 देषों के सदस्य तथा यूरोपीय आयोग निहित होते हैं। यह समुदाय को प्रभावित करने वाली व्यापार नीति के सभी पहलुओं पर चर्चा करती है – विष्व व्यापार संगठन में समझौता वार्ता आरंभ करने की रणनीति के मुद्दों से लेकर उत्पाद–विषेष के निर्यात सम्बन्धी विषिष्ट मुष्किलों तक। नीति में समरूपता बनाए रखने के लिए यह व्यापक समुदाय नीतियों के व्यापारिक पक्षों पर विचार करती है। इस समिति में यूरोपीय आयोग व्यापार नीति मुद्दे सदस्य–राज्यों के समक्ष प्रस्तुत करता है तथा

उनकी सहमति प्राप्त करता है। इसके बाद औपचारिक निर्णय (जैसे समझौता वार्ताएँ आरंभ करना अथवा समापन करना) मंत्रिपरिषद द्वारा सम्पुष्टित किए जाते हैं (स्रोतः http://ec.europa.eu/comm/trade/issue)। यद्यपि व्यापार नीति में यूरोपीय संसद की कोई विषेष भूमिका नहीं होती तथापि महत्वपूर्ण निर्णयों तथा व्यापार संधियों पर इसकी स्वीकृति आवष्यक होती है, विषेषकर जिनमें व्यापार के अतिरिक्त और मुद्दे भी निहित हों। फिर भी आयोग का प्रयत्न होता है कि व्यापार नीति में यूरोपीय संसद को अधिकाधिक शामिल किया जाए। अतः जहाँ तक हो सके, यह इन नीतियों के बारे में संसद को सूचित करता रहता है और कई बार उसकी सलाह भी लेता है। इस तरह यूरोपीय संघ विष्व व्यापार संगठन के साथ अपना समन्वय स्थापित करता है। अब हम विष्व व्यापार संगठन के अंतर्गत सम्पन्न किए गए प्रमुख व्यापार मुद्दों पर यूरोपीय संघ की नीतियों तथा कार्यवाही की चर्चा करेंगे।

14.6.1 ग़ैर–कृषि उत्पाद

निम्नलिखित आधारों पर यूरोपीय संघ आयात शुल्क दर समाप्त करने अथवा उसे न बढ़ाने के लिए कटिबद्ध हैंः

1) "सभी देषों के लिए नए बाज़ारों तक वास्तविक पहुँच जिसमें विकसित तथा अत्याधिक विकासषील देषों द्वारा न्यूनतम विकसित देषों को आयात शुल्क तथा कोटा–मुक्त–पहुँच द्वारा अधिकतम अवसर प्रदान किए जाएँ;

2) विकासषील देषों का योगदान उनकी क्षमता के अनुसार होना चाहिए तथा उन्हें रियायतों (सीमा शुल्क में) को लागू करने में लचीलेपन का लाभ मिलना चाहिए। इसका अर्थ है कि विकसित देषों को विकासषील देषों की अपेक्षा थोड़े अधिक प्रयत्न करने होंगे;

3) न्यूनतम विकसित देषों तथा वैसी ही परिस्थितियों वाले अन्य कमज़ोर देषों को अपनी आयात शुल्क दरें कम करने की जरूरत नहीं हैं, वे केवल उन्हें स्थायी बनाकर रखें;

4) वे विकासषील देष जिन्होंने अपने बाज़ारों को खोलने का प्रयत्न किया है, उन्हें मान्यता दी जानी चाहिए। इस संदर्भ में यूरोपीय संघ ने एक ग़ैर–रेखीय स्विस फार्मूला (non-linear Swiss formula) लागू करने का प्रस्ताव रखा है अर्थात् उच्च आयात शुल्क दरों में भारी कटौती। विकासषील देषों के निर्यात हित वाले श्रम आधारित उत्पादों पर (जैसे कपड़ा, सिले सिलाए वस्त्र, जूते आदि) पर क्षेत्रीय उपक्रमण (sectoral initiative) ताकि इन पर सीमा शुल्क लगभग समाप्त किया जा सके। संक्षेप में, यूरोपीय संघ के अनुसार सीमारहित अवरोध, विकासषील देषों के लिए विषेषतः, समता तथा विकास की कुंजी हैं।

14.6.2 कृषि उत्पाद

इस संदर्भ में यूरोपीय संघ दोहा घोषणा का अनुमोदन करता है जिसमें निम्नलिखित बातें आती हैंः (i) एक उचित तथा बाज़ारोन्मुख व्यवस्था की स्थापना जिसमें विकासषील देषों के साथ विषिष्ट तथा भिन्न व्यवहार का विषेष ध्यान रखा जाए, (ii) विकसित देषों द्वारा हो रहे व्यापार–विरोधी समर्थन मूल्यों में ठोस कमी, (iii) सुधारीकृत बाज़ार पहुँच तथा निर्यात रियायतों की समाप्ति। AoA के प्रति कटिबद्धता के एक भाग के रूप में यूरोपीय संघ ने बाध्य शुल्क दरों में औसतन 36 प्रतिषत की कमी कर दी है (जिसमें न्यूनतम 15 प्रतिषत की कमी है)। इसने उत्पादों के विषिष्ट समूहों को न्यूनतम पहुँच प्रदान की है ताकि उपभोग का 5 प्रतिषत आयात प्रतिस्पर्धा के दायरे के लिए खुला रहे। चीनी जैसे उत्पाद के लिए, यूरोपीय संघ ने विषेष कृषि संरक्षणों का सहारा लिया है ताकि इसे अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जा सके। चीनी, डेयरी, तथा मुर्गीपालन क्षेत्रों में निर्यात रियायतें विषेष रूप से बाध्य रही हैं। इसी तरह यूरोपीय संघ ने समर्थन के औसतन उपायों (Aggregate measures for support) (घरेलू समर्थन प्रतिबद्धताएँ) को AoA द्वारा आरोपित अधिकतम सीमा से नीचे रखा है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यूरोपीय संघ खाद्यान्न आयात करने वाली संसार की सबसे बड़ी इकाई है। इसका एक कारण है ग़ैर–प्रतिस्पर्धी उत्पादों (जैसे ट्रॉपिकल उत्पाद जिन्हें यूरोपीय संघ खुद पैदा नहीं करता) पर न्यूनतम अथवा शून्य सीमा शुल्क तथा विकासषील देषों से आयात को दी जाने वाली वरीयता आधारित रियायतें। विष्व व्यापार संगठन के आँकड़ों के अनुसार 1999 में यूरोपीय संघ के 43 प्रतिषत

कृषि इस वरीयता पहुँच (preferential access) के दायरे में आते थे, अन्य 24 प्रतिषत आयात अत्यधिक अनुग्रहित राष्ट्र (Most favoured Nations; MFN) प्रबंधों के अंतर्गत किए गए जिनमें फिर आयात शुल्क शून्य हैं। समग्र रूप से यूरोपीय संघ के आयात का 30–35 प्रतिषत हिस्सा वरीयता आधारित बाज़ार पहुँच के प्रबंधों के अधीन होता है। इसमें विकासषील देषों की वरीतया आधारित पहुँच का हिस्सा लगभग 42 प्रतिषत है। उन अफ्रीकन कैरेबियन तथा पैसिफिक देषों के लिए जो न्यूनतम विकास की श्रेणी में नहीं आते, यह आँकड़ा 83 प्रतिषत है, न्यूनतम विकसित देषों के लिए "षस्त्रों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु" (Everything except arms) योजना के अंतर्गत यह आँकड़ा अब 100 प्रतिषत है।

जहाँ तक *सेवाओं के व्यापार* का सवाल है, यूरोपीय संघ विकासषील देषों के अनुरोध को उनके विकास के व्यक्तिगत स्तर के आधार पर आंकता है, विषेषतः न्यूनतम विकसित देषों के लिए इसने क्षेत्र–विषिष्ट का दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें मूल ढाँचे सम्बन्धी सेवाओं पर अधिक बल दिया गया है जैसे वित्तीय सेवाएँ, संचार व्यवस्था, परिवहन आदि। विष्व व्यापार संगठन ढाँचे के अंतर्गत विकासषील देषों के संदर्भ में यूरोपीय संघ जिन सेवाओं पर विषेष बल देता है, वे हैं : व्यावसायिक सेवाएँ तथा मानव संसाधनों का आवागमन अर्थात् अस्थायी तौर पर ऐसे लोगों को यूरोप में आने की आज्ञा जो ठेके पर यूरोपीय संघ में कुछ सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं। साथ ही, यूरोपीय संघ विकासषील देषों द्वारा अपने घरेलू अधिनियमों तथा सार्वजनिक सेवाओं की सुरक्षा सम्बन्धी उपायों को स्वयं निष्चित करने के अधिकार का भी समर्थन करता है। इसके अलावा विष्व व्यापार संगठन के व्यापार सरलीकरण सम्बन्धी समझौतों में भी यूरोपीय संघ एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है जिसका उद्देष्य स्थानांतर प्रक्रिया में सुधार, लालफीताषाही को सीमित करना तथा निर्यात बाज़ार में प्रतिकूल शर्तों में संषोधन करना है। समग्र रूप में, इन सबका उद्देष्य निवेष के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना है। यूरोपीय संघ के दृष्टिकोण में, तकनीकी सहायता तथा क्षमता निर्माण विकासषील देषों की सहायता करने के दो प्रमुख हथियार हैं ताकि वे विष्व व्यापार संगठन के अधिनियमों तथा समझौतों में अन्तर्निहित उद्देष्यों के स्तर तक आ सकें। इसके अनुसार विकासषील देषों के क्षमता निर्माण के महत्वपूर्ण पहलू हैं :

व्यापार को उनके राष्ट्रीय विकास नीतियों, कार्यक्रमों तथा गरीबी निवारण रणनीति का अंग बना दिया जाए। विकासषील देषों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए विष्व व्यापार संगठन ने एक ग्लोबल ट्रस्ट फंड की स्थापना की है जिसकी कुल राषि में यूरोपीय संघ का योगदान 60 प्रतिषत है। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ ने न्यूनतम विकसित देषों के लिए संघटित ढाँचे (Integrated Framework) का समर्थन करने का भी वायदा किया है। संघटित ढाँचा बहु–अभिकरणों तथा बहु–दाताओं का ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देष्य न्यूनतम विकसित देषों को विष्व अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए सक्षम बनाता है। विकासषील देषों को यूरोपीय संघ का सषक्त समर्थन उसके इस दृढ़ विष्वास पर आधारित है कि (i) वैष्वीकरण सम्पूर्ण विष्व में विकास तथा उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त करने का सुनहरा मौका है; (ii) वैष्वीकरण के लाभ सभी को क्षमता तथा न्यायसंगत आधार पर मिलें, इसके लिए बहुपक्षीय अभिषासन की नितान्त आवष्यकता है; (iii) जब तक विष्व समाज एक न्यूनतम समानता का स्तर प्राप्त नहीं कर लेता, विष्व व्यापार संगठन ढाँचे के अंतर्गत अत्यधिक अनुग्रहित राष्ट्र (MFN) की धारणा चलती रहनी चाहिए; (iv) मुक्त बाज़ार तथा संरक्षित विभेदीकरण में संतुलन लाया जाना चाहिए; और (v) सांझी सर्वव्यापक आवष्यकताएँ, सामाजिक सुरक्षा तथा सांझे डर समाज को एकता के सूत्र में बांधते हैं।

14.7 यूरोपीय संघ तथा पर्यावरण सम्बन्धी मुद्दे

पिछले कुछ वर्षों में व्यापार तथा सम्पोषित विकास की अन्तर्राष्ट्रीय चर्चाओं में पर्यावरण ने केन्द्रीय स्थान ग्रहण कर लिया है। महत्वपूर्ण पर्यावरण मुद्दों – जैसे जलवायु परिवर्तन, ओज़ोन लेयर की सुरक्षा, ऊर्जा तथा प्राकृतिक संसाधन, जैविकी सुरक्षा एवं संरक्षण (bio diversity preservation), कूड़े करकट का निपटारा करना आदि – से जुझने के लिए व्यापार को एक व्याप्त यंत्र माना जा रहा है। इन सम्बद्ध मुद्दों के सामाजिक तथा आर्थिक पहलुओं के अतिरिक्त पर्यावरण प्रबंधन तथा संरक्षण के लिए प्रमाणीकृत व्यापार (Certified Trading) सबसे बड़ी सुरक्षा मानी जाती है। व्यापार तथा पर्यावरण के बीच अंतर्सम्बन्ध के तीन महत्वपूर्ण पहलू हैंः "(i) व्यापार तथा व्यापार नीतियों का पर्यावरण पर प्रभाव; (ii) पर्यावरण सम्बन्धी उपायों का व्यापार प्रवाह पर संभावित प्रभाव; और (iii) पर्यावरण नीति

सम्बन्धी उद्देष्यों की प्राप्ति के लिए व्यापार उपायों का प्रयोग।" दूसरे शब्दों में, व्यापार, पर्यावरण तथा सम्पोषित विकास में अटूट तथा अपरिहार्य सम्बन्ध है। विष्व व्यापार संगठन के अंतर्गत होने वाली पर्यावरण सम्बन्धी विभिन्न चर्चाओं में यूरोपीय संघ ने हमेषा इन मुद्दों पर बल दिया है। इसका मानना है कि व्यापार सम्बन्धी सभी चर्चाओं का उद्देष्य व्यापार उदारीकरण, पर्यावरण सुरक्षा तथा आर्थिक–सामाजिक विकास में सकारात्मक संयोजन होना चाहिए। इन आधारों पर यूरोपीय संघ पर्यावरण नीति के निम्न मूल उद्देष्यों को प्राप्त करना चाहता हैः

1) पर्यावरण की समस्या का सामना करने के लिए वर्तमान बहुपक्षीय समझौतों (जैसे जलवायु परिवर्तन, रेगिस्तान, रसायन जैविकी सम्बन्धों) तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं (जैसे जगलांत) को समर्थन देना,

2) सम्पोषित विकास के पर्यावरण पक्ष को सम्पूर्ण विष्व में प्रोत्साहित करना,

3) संसाधनों के संरक्षण तथा समतावादी वितरण की विषिष्ट राष्ट्रीय/क्षेत्रीय समस्याओं को दूर करने के लिए देषीय रणनीति अथवा द्विपक्षीय/क्षेत्रीय समझौतों का प्रयोग करना,

4) राजनीतिक वार्तालाप, संस्थागत तथा नागरिक समाज के समर्थन का उपयोग करते हुए वृहत राजनीतिक तथा सार्वजनिक पर्यावरण उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, तथा

5) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी नीति निर्माण क्षेत्रों में पर्यावरण तथा सम्पोषित विकास को मुख्यधारा में लाने का आष्वासन।

पर्यावरण संबंधित मुद्दों को द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय स्तर पर सम्बोधित करने के लिए कोई समरूप दृष्टिकोण नहीं हो सकता। अतः औद्योगिक देषों के साथ वार्तालाप में अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों में विभिन्न दृष्टिकोणों को, आनुपातिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए, समरूप बनाने पर बल दिया जाना चाहिए। परन्तु विकासषील देषों के संदर्भ में यह उनके विकास में बाधा डालने वाली पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं को पहचानने तथा उनका विवेचन करने, तथा बहुपक्षीय समझौतों के लिए प्रभावषाली ढंग से समझौता करने

की कला सिखाना तथा उनके कार्यान्वयन के लिए रास्ते तलाष करना होना चाहिए। यही नहीं, उनकी क्षमता निर्माण तथा संस्थाओं को सषक्त बनाने की आवष्यकता पर बल भी दिया जाना चाहिए।

यूरोपीय संघ ने हमेषा एक तरफ पर्यावरण के साथ व्यापार एवं निवेष में सम्बन्ध तथा दूसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया है। इसके लिए इसने रषिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन तथा भारत के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यूरोपीय संघ ने पर्यावरण के क्षेत्र को शान्ति, सुरक्षा तथा सषस्त्रीकरण जैसे क्षेत्रों तक बढ़ा दिया है। यह यूरोपीय संघ की निवेष नीति का केन्द्रीयभूत पहलू हैं जिसमें कई विषय निहित हैं, जैसेः

1) "शीत युद्धोपरान्त नव निर्माण के सभी क्षेत्रों में पर्यावरण के पहलुओं को प्रोत्साहन – संस्थागत तथा नागरिक समाज की संस्थाओं से लेकर मूल ढाँचे की परियोजनाओं तक पर्यावरण गतिविधियों को समर्थन"।

2) इस बात को पक्का किया जाए कि "विवादों को हल करने की प्रक्रिया में पर्यावरण सम्बन्धी पक्षों की अनदेखी नहीं की जाएगी तथा प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच एवं प्रयोग के तनावों को कम किया जाएगा"।

3) पर्यावरण के उद्देष्यों को पूरा करने के लिए "मानव अधिकारों, प्रजातंत्र तथा अभिषासन में भी सुधार किया जाए"।

4) "पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय संस्थागत ढाँचे को और अधिक प्रभावषाली बनाया जाए"।

पर्यावरण सुरक्षा के लिए यूरोपीय संघ की नीति के अन्य महत्वपूर्ण पहलू : (i) यूरोपीय संघ की व्यापार नीतियों में पर्यावरण प्रमाणपत्र को अनिवार्य बनाना; (ii) पर्यावरण संबंधित वस्तुओं और सेवाओं को पूर्णतया शुल्क रहित बनाना अथवा शुल्क अवरोधों को कम करना; (iii) पर्यावरण लेबल प्रक्रिया लागू करना; (iv) पर्यावरण में सुधार के लिए विकासषील देषों को तकनीकी अथवा अन्य विषिष्ट सहायता प्रदान करना; (v) विकासषील देषों द्वारा अपने देषों में किए गए प्रयत्नों को मान्यता देने के लिए वरीयताओं की सामान्यकृत

व्यवस्था (GSP) कार्यक्रम के अंतर्गत और अधिक प्रोत्साहन देना; (vi) पर्यावरण के उद्देष्यों को पूरा करने के लिए निवेष परिस्थितियों को नियंत्रित करना; (vii) पर्यावरण के व्यापार पर प्रभाव को इनके अन्तर्गत सम्बोधित करना; तथा (ix) गेट के अनुच्छेद XX, (SPS) समझौता तथा अनुच्छेद, व्यापार समझौतों में तकनीकी बाधाएँ (TRIPs), जैविकी तथा परम्परागत ज्ञान आदि हैं। इसके अतिरिक्त बेहतर अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण अभिषासन के लिए यूरोपीय संघ ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेष किए हैंः (i) सुस्पष्ट अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण अभिषासन व्यवस्था के लिए विष्व स्तरीय मंत्रियों के मंच (Global Ministerial Forum) को सषक्त बनाया जाए; (ii) वर्तमान बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों के वैचारिक, कार्यात्मक तथा क्षेत्रीय पक्षों को संघटित करके तथा इनमें अंतःसम्बन्ध कायम करके इन्हें और सषक्त बनाया जाए; (iii) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme) को संतोषजनक, स्थायी तथा स्पष्ट वित्तीय सहयोग की गारंटी दी जाए; (iv) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में यूरोपीय संघ के दाताओं तथा यूरोपीय संघ के बाहर के दाताओं में समन्वय बढ़ाया जाए; (v) अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की गतिविधियों में पर्यावरण के मुद्दों के संघटन को समर्थन दिया जाए (जैसे वित्तीय कार्यक्रमों के पर्यावरण प्रभाव का क्रमबद्ध मूल्यांकन, पर्यावरण दृष्टिकोण से सही वित्तीय योजनाओं के लिए दिषा–निर्देष अपनाना); और (vi) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में कार्यरत संस्थाओं में पर्यावरण प्रबंधन व्यवस्था की स्थापना का समर्थन करना हैं (स्रोतः SEC (2002) 271)।

14.7.1 जलवायु परिवर्तन पर यूरोपीय संघ की पहल

कई प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि पिछले 50 सालों में पृथ्वी के तापमान में औसतन 0.6 प्रतिषत की वृद्धि हुई है जिसके कारण पृथ्वी के जीवन्त प्राणियों के लिए गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। इस विष्व तपन (global warming) के कई कारण दिए जाते हैं; जैसे, जीवाष्म ईंधन जलाना (burning of fossial fuels) तथा वनोन्मूलन जो पर्यावरण में कार्बन डाइआक्साइड (CO_2) की मात्रा बढ़ा देते हैं। इस संदर्भ में यूरोपीय संघ ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दो संधियों पर समझौता करवाने में प्रषंसनीय कार्य किया है। ये हैंः जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का संरचनात्मक सम्मेलन (United Nations Framework Convention on Climate Change) तथा क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto Protocol)। क्याटो

प्रोटोकॉल के अन्तर्गत विकसित देषों में ताप वृद्धि करने वाली 6 जहरीली गैसों के निस्सरण (emission) में 5 प्रतिषत कम करने का वादा किया है। समूह के रूप में स्वीटजरलैण्ड, केन्द्रीय एवं पूर्वी यूरोप तथा यूरोपीय संघ ने 8 प्रतिषत, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 7 प्रतिषत, कनाडा, हंगरी, जापान तथा रषिया ने 6 प्रतिषत कमी करने का वादा किया है। इन निस्सरण लक्ष्यों को 2008–12 की अवधि में पूरा किया जाना है। क्योटो प्रोटोकॉल में अन्तर्राष्ट्रीय "निस्सरण व्यापार" (emissions trading) की व्यवस्था भी की गई है जिसमें विकसित देष विकासषील देषों से "निस्सरण साखपत्र" (emissions credits) आपस में खरीद–बेच सकते हैं। इसमें विकसित तथा विकासषील देषों में कम निस्सरण वाली औद्योगिक इकाइयाँ लगाने की व्यवस्था भी है। इस प्रोटोकॉल के आधार पर यूरोपीय संघ ने अपना यूरोपीय जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम (European Climate Change Programme; ECCP) स्वीकृत किया है जिसमें प्रत्येक सदस्य–देष के निस्सरण नियमों का बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। यूरोपीय जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के प्रथम चरण में यूरोपीय संघ के 25 देषों में वायु प्रदूषित करने वाले निस्सरण में 1990–2003 की अवधि में लगभग 5 प्रतिषत की कमी आई है। सभी 6 ग्रीन हाऊस गैसों का निस्सरण 3 प्रतिषत से कम है। यूरोपीय जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के दूसरे चरण में परिवहन क्षेत्र में यूरोपीय मानदण्ड लागू करने पर अधिक बल दिया जा रहा है। इसमें सामान्य वाहन तथा हवाई परिवहन दोनों शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं : कार्बन को इकट्ठा करके उसे गड्डों में दबाना तथा नए मानदण्डों को लागू करवाने में यूरोपीय संघ की भूमिका।

14.8 सारांष

उपरोक्त विष्लेषण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि वैष्वीकरण, बहुपक्षीय अभिषासन तथा क्षेत्रीय एकीकरण परस्पर सुदृढ़ीकरण प्रक्रियाएँ हैं जो विष्व स्तर पर व्यापार उदारीकरण के माध्यम से क्षमता एवं न्याय स्थापित करना चाहती हैं। इस संदर्भ में यूरोपीय संघ विष्व व्यापार संगठन व्यवस्था में महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरा है। यूरोपीय संघ ने व्यापार उदारीकरण के प्रयत्नों तथा विकास सहयोग नीति के विषेष

क्षेत्रों पर ध्यान एकाग्रित करके अपनी आयात–निर्यात नीति को विविध लाभ पहुँचाएँ हैं। परिणामस्वरूप यूरोपीय संघ विष्व के सबसे शक्तिषाली राजनीतिक तथा आर्थिक गुटों में से एक बन गया है। व्यापार प्रजातंत्र तथा मानव अधिकारों के मिश्रण ने वैष्वीकरण का एक सकारात्मक प्रक्रिया के रूप में मानकीकरण कर दिया है जिसमें अभिषासन के अर्थ को गुणमूलक तथा संख्यामूलक दोनों दृष्टिकोणों से उच्च स्तर पर पहुँचा दिया गया है। उभरती हुई उदारवादी विष्व व्यवस्था में ब्रैटन–वुड्स संस्थाओं के एकाधिकार को प्रजातांत्रिक आधारों पर समता तथा न्याय की धारणा में परिवर्तित किया जा रहा है।

14.9 अभ्यास प्रष्न

1) वैष्वीकरण ने अभिषासन की धारणा में किस प्रकार का परिवर्तन किया है?

2) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों में विष्व व्यापार संगठन के कार्यों तथा भूमिका का वर्णन कीजिए।

3) विष्व व्यापार में यूरोपीय संघ द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

4) गरीबी समाप्त करने के लिए यूरोपीय संघ की विकास सहयोग नीति का विष्लेषण कीजिए।

5) विष्व व्यापार संगठन के समझौतों के संदर्भ में यूरोपीय संघ के कृषि तथा ग़ैर–कृषि मुद्दों पर एक लेख लिखिए।

6) पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन पर यूरोपीय संघ की पहलों की समीक्षा कीजिए।

14.10 संदर्भ तथा कुछ उपयोगी पुस्तकें

ए फेयर ग्लोबलाइज़ेषन : क्रिएटिंग औपरचुनिटिज फॉर ऑल, नई दिल्ली : एकेडेमिक फाउंडेषन, 2006

एक्सफोर्ड, बेरी, एवं अन्य, *पोलिटिक्स : एन इंट्रोडक्षन*, कोनडोनः राउटलेज, 2005।

भौमिक, टी. के., *दी डबल्यू टी ओ : ए डिसकोर्डेन्ट ओरकेस्ट्रा*, नई दिल्ली : सेज, 2006

यूरोपियन कमीषन डाक्यूमेंटंस,

एस ई सी (2002) 271 : अनवार्यमेंट इंटीग्रेषन इन दी एक्सटर्नल पालिसिज ऑफ दी जनरल अफेयर्स काउंसिल।

हेल्ड, डेविड एवं एन्थोनी मैक ग्रा, *ग्लोबलाईज़ेषन/एंटी ग्लोबलाईज़ेषन*, कैम्ब्रिज : पॉलिटी प्रेस, 2002।

हेल्ड, डेविड (संपा.), *ए ग्लोबलाइज़िंग वर्ल्ड? कल्चर, इकानामिक, पोलिटिक्स*, (दूसरा संस्करण), लंदनः राउटलेज, 2004।

हेल्ड, डेविड, *ग्लोबल कोन्वेंट : दि सोषल डेमोक्रेटिक आल्टरनेटिव टू दी वाषिंगटन कान्सेंसस,* कैम्ब्रिज : पॉलिटी प्रैस, 2004।